

5-9-18. पत्रावली करते बहस पेस हुई। बार-बार
आवाज लगवाये जाने के उपरान्त भी न अपील
उपास्थित हुए और न अधिवक्ता अपीलान्त
उपास्थित आये। अतः पत्रावली अदम हाजरी
न अदम पैरवी में रवारिज की जाती है। पत्रा
फैसल सुमार होकर नम्बर से कम की जावे
तथा बाद जाता काबिल दफ्तर हो।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)